न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा, जिला–उदयपुर
पीठासीन अधिकारी प्रतिमा वर्मा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 14/2022 वाद

1. श्रीमती गंगाबाई पत्नी भानू जी गुजर, उम्र वयस्क, निवासी बलीचा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

वादीया

बनाम

1. श्रीमती उजारी बाई बेवा नारायण जी गुजर, उम्र वयस्क, निवासी बलीचा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्रीमती सुगना पत्नि गिरधारीलाल जी गुजर, मृतक के बजाय–
   - 2/1 श्री दिनेश पिता श्री गिरधारी लाल जी गुर्जर उम्र वयस्क, निवासी बलीचा बाईपास, देवाली तह. गिर्वा, उदयपुर
   - 2/2 श्री जगदीश पिता श्री गिरधारीलाल जी गुर्जर उम्र वयस्क, निवासी बलीचा बाईपास, देवाली तह. गिर्वा, उदयपुर
   - 2/3 श्री लक्ष्मीनारायण पिता श्री गिरधारीलाल जी गुर्जर, उम्र वयस्क, निवासी बलीचा बाईपास, देवाली तह. गिर्वा, उदयपुर
   - 2/4 श्रीमती प्रेमदेवी पुत्री श्री गिरधारीलाल जी पत्नी श्री हीरालाल जी गुर्जर, उम्र वयस्क, निवासी गुर्जर मोहल्ला, वार्ड न. 7 हिरण मगरी उदयपुर
3. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)
4. नगर विकास प्रन्यास जरिये सचिव नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर (राज.)
5. प्रेम सिंह पिता श्री मोहन सिंह जी सिसोदिया, उम्र–बालिग, निवासी–15 बी, दीप ज्योति स्कूल के पास, हिरण मगरी, सेक्टर–14, उदयपुर (राज.)
6. नारायण लाल पिता श्री चिरंजीवी लाल सुवालका, उम्र–बालिग, निवासी गोवर्धन विलास, उदयपुर (राज.)
7. डॉ. एस.पी. धाकड़ पिता श्री बी.एल. धाकड उम्र बालिग, निवासी–71, भूपालपूरा, उदयपुर (राज.) हाल निवासी–11616, ओल्डी कन्वींटन वे, ग्लेन एलीन, वर्जीनिया, अमेरिका जरिये अधिकार पत्र धारक श्रीमती मीना पण्ड्या पत्नी डॉ. त्रिलोक कुमार पण्ड्या, उम्र बालिग, निवासी म्युनिसीपल कॉलोनी, शिवाजी नगर, उदयपुर (राज.)
8. श्रीमती भगवती पत्नी श्री हिरालाल सुथार, उम्र बालिग, निवासी कड़िया।
9. श्रीमती मधु गुप्ता पत्नी श्री सुभाष गुप्ता, उम्र बालिग, निवासी–रेती स्टेण्ड, उदयपुर (राज.)
10. श्रीमती मीना पण्ड्या पत्नी डॉ. त्रिलोक कुमार पण्ड्या, उम्र बालिग, निवासी म्युनिसीपल कॉलोनी, शिवाजी नगर, उदयपुर (राज.)
11. श्रीमती रेणु कण्डा पत्नी श्री प्रिंस कण्डा, उम्र बालिग, निवासी–म्युनिसीपल कॉलोनी, शिवाजी नगर, उदयपुर (राज.)
12. रामेश्वर लाल पिता श्री मोहन लाल खटीक, उम्र बालिग, निवासी देलवाडा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)
13. श्रीमती सृष्टि मोगरा पत्नी श्री दिपक मोगरा, उम्र बालिग, निवासी मेहता जी की बाड़ी, उदयपुर (राज.)

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

श्री सम्पतलाल जी बोहरा अधिवक्ता वादी उपस्थित

श्री मनीष शर्मा अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 2/1 से 2/4 उपस्थित

श्री दुर्गासिंह शक्तावत अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 5 से 11 उपस्थित

उपखण्ड अधिकारी गिर्वा, उदयपुर

निर्णय

दिनांक 27.09.2023

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर अंकित किया कि वादीया के हेता एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पति श्री नारायण गुर्जर के खाते एवं कब्जे की मौजा बलीचा तहसील गिर्वा की आराजी संख्या 992 रकबा 0.9200 हैक्टेयर में 1/2 हिस्से की भूमि स्थित है। श्री नारायणजी गुर्जर के मृत्यु के बाद उक्त आराजीयात वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के खाते दर्ज होनी चाहिए थी परन्तु मात्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हो गई जिसके आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 फायदा उठाकर उक्त वादग्रस्त आराजीयात को खुर्द बुर्द करने पर आमादा है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जाकर वादिया को उक्त वादग्रस्त आराजीयात के 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावें एवं भूमि का मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर बंटवाडा फरमाया जावे।

न्यायालय द्वारा पूर्व प्रकरण संख्या 213/07 वाद में दिनांक 22.04.2009 को प्रारम्भिक डिक्री किया गया एवं तहसीलदार गिर्वा से प्राप्त बंटवाडा रिपोर्ट अनुसार दिनांक 03.04.2018 को फाईनल डिक्री कर दिया गया। जिसकी अपील माननीय न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर के समक्ष प्रस्तुत की जिसके प्रकरण संख्या 64/2020 होकर माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 28.09.2021 से अपील अपीलांट स्वीकार कर निर्णय व डिक्री दिनांक 03.04.2018 अपास्त कर पत्रावली निम्न निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की गई कि "तहसीलदार पक्षकारों से सूचित कर उनकी उपस्थिति में स्वयं बंटवारा नियम 18 से 21 की पालना करते हुए फर्द बंटवारा तैयार करें तत्पश्चात् अधिनस्थ न्यायालय प्राप्त फर्द बंटवारे के आधार पर निर्णय पारित करें।"

प्रकरण में तहसीलदार गिर्वा से न्यायालय के पत्र क्रमांक राजस्व ए/14/22 वाद/13.12.22/2354 दिनांक 17.11.2022 से बंटवारा रिपोर्ट माननीय न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर के निर्देशानुसार तलब की गई। प्रकरण में तहसीलदार गिर्वा द्वारा बंटवारा फर्द तैयार करा रिपोर्ट पत्र क्रमांक राजस्व/प्रा0ड़ि0/2023/246 दिनांक 17.05.2023 से प्रस्तुत की गई। प्रतिवादी संख्या 2/1 से 2/4 अधिवक्ता द्वारा प्राप्त फर्द बंटवारे पर सहमति प्रकट करते हुए आपत्ति की गई कि उंकारी बाई व सुगना के हिस्से रखी गई भूमि पर आने जाने हेतु रास्ता नहीं दिया गया है। प्रतिवादी की आपत्ति पर तहसीलदार गिर्वा से रास्ते के सम्बंध में न्यायालय के पत्रांक राजस्व ए/प्रा. डि./1346 दिनांक 3.8.23 से रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार गिर्वा द्वारा पत्र

अधिकारी

क्रमांक प्रा0/30/2023/452 दिनांक 18.08.2023 से रिपोर्ट प्रस्तुत की
तहसीलदार गिर्वा से रिपोर्ट प्राप्त होने पर पुनः फर्द बंटवारे एवं रास्ते के
प्राप्त रिपोर्ट पर उभयपक्ष को सुना गया। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 6 से
प्राप्त रिपोर्ट पर कोई आपत्ति नहीं की गई एवं प्राप्त फर्द बंटवारे अनुसार
डिक्री जारी करने का निवेदन किया गया। प्रतिवादी संख्या 2/1 से
2/4 अधिवक्ता द्वारा फर्द बंटवारे पर सहमति जताते हुए रास्ते के सम्बध मे
आपत्ति की गई। प्रतिवादी संख्या 2/1 से 2/4 द्वारा प्राथमिक आपत्ति की गई
कि उनके हिस्से रखी गई आराजीयात पर पहुँच हेतु रास्ता नहीं दिया गया है।
तहसीलदार गिर्वा द्वारा रास्ते के सम्बध में प्रस्तुत की गई रिपोर्ट अनुसार आराजी
संख्या 992 रकबा 0.9200 हैक्टेयर के फर्द बंटवारा प्रस्ताव में प्रत्येक खातेदार के
हिस्से पर पहुंच हेतु कोई रिकार्डेड रास्ता उपलब्ध नहीं होकर केवल कच्चा रास्ता
ही उपलब्ध है। प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा द्वितीयक आपत्ति की गई कि बंटवारा
प्रस्ताव में आराजी संख्या 2345/992/3 पर पहुंच हेतु रास्ता 40 फीट है लेकिन
उनके हिस्से की आराजीयात पर पहुंच हेतु कोई रास्ता नहीं दिया गया है।
तहसीलदार गिर्वा रिपोर्ट अनुसार बंटवारा प्रस्ताव की आराजी संख्या
2345/992/3 पर पहुच हेतु उपलब्ध 40 फीट रास्ता एवं आराजी संख्या
2346/992, 2345/992/2, 2345/992/1 पर पहुंच हेतु 60 फीट चौड़ा रास्ता
नगर विकास प्रन्यास उदयपुर द्वारा अपने प्लान में प्रस्तावित कर रखा है। अतः
आपत्तिकर्ता प्रतिवादी संख्या 2/1 से 2/4 के लिए रखी गई आराजी संख्या
2345/992/1 पर पहुच हेतु 60 फीट प्रस्तावित होकर कच्चा रास्ता उपलब्ध होने
से द्वितीयक आपत्ति भी सारहीन है। प्रत्येक आराजीयात तक पहुँच हेतु कच्चा
रास्ता उपलब्ध होने से एवं प्रतिवादी संख्या 2/1 से 2/4 की रास्ते के सम्बध में
की गई दोनों आपत्तियॉ सारहीन होने से खारिज की जाती है। उभयपक्ष फर्द
बंटवारा पर सहमत होने से प्राप्त फर्द बंटवारा अनुसार–

1–गंगाबाई पत्नी श्री भानु गुर्जर सा. देह

आ.स.	रकबा	लगान
2346/992	0.1533	0.53

किता 1 रकबा 0.1553 लगान 0.53

2–जगदीश, दिनेश, लक्ष्मीनारायण, प्रेम बाई पिता गिरधारीलाल गुर्जर सा. देह.
खातेदार

आ.स.	रकबा	लगान
2545/992/1	0.1533	0.53

किता 1 रकबा 0.1533 लगान 0.53

उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा, उदयपुर

3—ऊंकारीबाई पत्नी नारायण गुर्जर सा. देह खातेदार

	आ.स.	रकबा	लगान
	2545/992/2	0.0237	0.05
किता	1	रकबा 0.0237	लगान 0.05

4—1.आ.एस.पी. धाकड पुत्र बी.एल.धाकड हिस्सा 475/11794 जाति जैन निवासी 6 भूपालपुरा, उदयपुर खातेदार, 2.नारायणलाल पुत्र चिरन्जीवलाल सुहालका हिस्सा 1297/11794 जाति कलाल चिरन्जीव कुंज प्रथम देवली मु.पो. बलीचा गोवर्धन विलास खातेदार, 3.प्रेमसिंह पुत्र मोहनसिंह सिसोदिया हिस्सा 1297/11794 जाति सिसोदिया 15—बी, दीप ज्योति स्कूल के पास, हि.म.से.नं. 14, उदयपुर खातेदार, 4.भागवन्ती पत्नि हीरालाल हिस्सा 511/5897 जाति सुथार निवासी कडिया खातेदार, 5.मधु पत्नी सुभाष गुप्ता हिस्सा—1100/5897 जाति गुप्ता निवासी रेतीस्टेण्ड, उदयपुर खातेदार, 6.मीना पण्ड्या पत्नी स्व. डॉ. त्रिलोक कुमार पण्ड्या हिस्सा 501/5897 जाति ब्राह्मण निवासी 7 म्यूनिसिपल कॉलोनी शिवाजी नगर उदयपुर खातेदार, 7. रेणुकण्डा पत्नी श्री प्रिन्स कन्डा हिस्सा— 1138/5897 जाति कण्डा निवासी 16 म्यूनिसिपल कॉलोनी शिवाजी नगर उदयपुर खातेदारी, 8.रामेश्वरलाल पुत्र मोहनलाल खटीक हिस्सा—556/5897 जाति खटीक देलवाडा तह. नाथद्वारा जिला राजसमन्द खातेदार, 9.सृष्टि मोगरा पत्नी दीपक मोगरा हिस्सा 1113/11794 जाति मोगरा नि. 22, मेहताजी की बाडी उदयपुर खातेदार

	आ.स.	रकबा	लगान
	2545/992/3	0.5897	2.08
किता	1	रकबा 0.5897	लगान 2.08

उक्तानुसार वादी एवं प्रतिवादी को राजस्व ग्राम बलीचा, तहसील गिर्वा की आराजी संख्या 992 रकबा 0.9200 हैक्टैयर भूमि का बंटवाडा कर वादी का वाद फाईनल डिक्री किया जाता है। वादी के आधिपत्य की भूमि में वादी के शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग में प्रतिवादीगण संख्या 1 से 2/4 एवं 5 से 13 किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं करे, यह कार्य न तो स्वयं करे न अपने नौकर एजेन्ट रिश्तेदार से करावें। तहसीलदार गिर्वा तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। बंटवारा रिपोर्ट व नक्शा ट्रेस डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। फाईनल डिक्री जारी हो। निर्णय सरेइजलास सुनाया गया।

प्रकरण फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो।

27/09/23

(प्रतिभा वर्मा)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा उदयपुर

डिक्री व मुकदमे इन्तादाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7 सि.प्र.स.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा, उदयपुर मुकाम गिर्वा-उदयपुर पीठासीन अधिकारी प्रतिभा वर्मा, आई.ए.एस. मुकदमा 14/2022 सन 2022 शीर्षक श्रीमती गंगाबाई पत्नी श्री भानु जी गुर्जर, उम्र वयस्क, निवासी बलीचा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.) बनाम (1)श्रीमती ऊंकारी बाई पत्नी नारायण जी गुर्जर उम्र वयस्क निवासी बलीचा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.) (2)श्रीमती सुगना पत्नि गिरधारीलाल जी गुर्जर मृतक के वारिसान-(2/1) श्री दिनेश पिता श्री गिरधारी लाल जी गुर्जर उम्र वयस्क निवासी बलीचा बाईपास, देवाली तह. गिर्वा, उदयपुर (2/2) श्री जगदीश पिता श्री गिरधारीलाल जी गुर्जर उम्र वयस्क, निवासी बलीचा बाईपास, देवाली तह. गिर्वा, उदयपुर (2/3) श्री लक्ष्मीनारायण पिता श्री गिरधारीलाल जी गुर्जर, उम्र वयस्क, निवासी बलीचा बाईपास, देवाली तह. गिर्वा, उदयपुर (2/4) श्रीमती प्रेमदेवी पुत्री श्री गिरधारीलाल जी पत्नी श्री हीरालाल जी गुर्जर, उम्र वयस्क, निवासी गुर्जर मोहल्ला, वार्ड नं. 7 हिरण मगरी उदयपुर (3)राज्य सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.) (4)नगर विकास प्रन्यास जरिये सचिव नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर (राज.) (5)प्रेम सिंह पिता श्री मोहन सिंह जी सिसोदिया, उम्र-बालिग, निवासी-15 बी, दीप ज्योति स्कूल के पास, हिरण मगरी, सेक्टर-14, उदयपुर (राज.) (6)नारायण लाल पिता श्री चिरंजीवी लाल सुवालका, उम्र-बालिग, निवासी गोवर्धन विलास, उदयपुर (राज.) (7)डॉ. एस.पी. धाकड़ पिता श्री बी.एल. धाकड़ उम्र बालिग, निवासी-71, भूपालपुरा, उदयपुर (राज.) हाल निवासी-11616, ओल्डी कन्वीटन वे, ग्लेन एलीन, वर्जीनिया, अमेरिका जरिये अधिकार पत्र धारक श्रीमती मीना पण्ड्या पत्नी डॉ. त्रिलोक कुमार पण्ड्या, उम्र बालिग, निवासी म्युनिसीपल कॉलोनी, शिवाजी नगर, उदयपुर (राज.) (8)श्रीमती भगवती पत्नी श्री हिरालाल सुथार, उम्र बालिग, निवासी कडिया (9)श्रीमती मधु गुप्ता पत्नी श्री सुभाष गुप्ता, उम्र बालिग, निवासी-रेती स्टेण्ड, उदयपुर (राज.) (10)श्रीमती मीना पण्ड्या पत्नी डॉ. त्रिलोक कुमार पण्ड्या, उम्र बालिग, निवासी म्युनिसीपल कॉलोनी, शिवाजी नगर, उदयपुर (राज.) (11)श्रीमती रेणु कण्डा पत्नी श्री प्रिंस कण्डा, उम्र बालिग, निवासी-म्युनिसीपल कॉलोनी, शिवाजी नगर, उदयपुर (राज.) (12)रामेश्वर लाल पिता श्री मोहन लाल खटीक, उम्र बालिग, निवासी देलवाड़ा, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.) (13)श्रीमती सृष्टि गोगरा पत्नी श्री दिपक गोगरा, उम्र बालिग, निवासी मेहता जी की बाडी, उदयपुर (राज.) वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का

यह मुकदमा आज वास्ते अन्तिम निपटारा किये जाने प्रतिभा वर्मा, आई.ए.एस. के समक्ष प्रस्तुत हुआ। वादी अधिवक्ता श्री रामपतलाल बोहरा, प्रतिवादी संख्या 2/1 से 2/4 अधिवक्ता मनीष शर्मा एवं प्रतिवादी संख्या 5 से 11 अधिवक्ता दुर्गासिंह शक्तावत की उपस्थिति मे आदेश दिया जाता है कि :-

1--गंगाबाई पत्नी श्री भानु गुर्जर सा. देह

आ.रा.	रकबा	लगान
2346/992	0.1533	0.53

किता 1 रकबा 0.1553 लगान 0.53

2--जगदीश, दिनेश, लक्ष्मीनारायण, प्रेम बाई पिता गिरधारीलाल गुर्जर सा. देह. खातेदार

आ.रा.	रकबा	लगान
2545/992/1	0.1533	0.53

किता 1 रकबा 0.1533 लगान 0.53

3--ऊँकारीबाई पत्नी नारायण गुर्जर सा. देह खातेदार

आ.रा.	रकबा	लगान
2545/992/2	0.0237	0.05

किता 1 रकबा 0.0237 लगान 0.05

उपखण्ड अधिकारी
गिर्वा, उदयपुर

[illegible] पुत्र श्री एल.[illegible] हिस्सा 475 / 11794 जाति जैन निवासी 8 भूपालपुरा,
[illegible] खातेदार, 2.नारायणलाल पुत्र चिरन्जीवलाल सुखाड़िया हिस्सा 1297 / 11794 जाति
[illegible] पूजा प्रभा देवली मु.पो. बलीचा गोवर्धन विलास खातेदार, 3.प्रेमसिंह पुत्र
[illegible] सिसोदिया हिस्सा 1297 / 11794 जाति सिसोदिया 15–बी, दीप ज्योति स्कूल के
[illegible] 14, उदयपुर खातेदार, 4.भागवन्ती पत्नि हीरालाल हिस्सा 511 / 5897
[illegible] निवासी कड़िया खातेदार, 5.मधु पत्नी सुभाष गुप्ता हिस्सा-- 1100 / 5897 जाति
[illegible] निवासी शैलिटेयर, उदयपुर खातेदार, 6.मीना पण्ड्या पत्नी स्व. डॉ. त्रिलोक कुमार
[illegible] हिस्सा 501 / 5897 जाति ब्राह्मण निवासी 7 म्यूनिसिपल कॉलोनी शिवाजी नगर
[illegible] खातेदार, 7. रेणुकण्डा पत्नी श्री प्रिन्स कन्डा हिस्सा-- 1138 / 5897 जाति कण्डा
[illegible] 16 म्यूनिसिपल कॉलोनी शिवाजी नगर उदयपुर खातेदारी, 8.रामेश्वरलाल पुत्र
[illegible] खटीक हिस्सा--556 / 5897 जाति खटीक देलवाड़ा तह. नाथद्वारा जिला
राजसमन्द खातेदार, 9.सृष्टि गोगरा पत्नी दीपक गोगरा हिस्सा 1113 / 11794 जाति गोगरा
[illegible] 22, मेहताजी की बाड़ी उदयपुर खातेदार

आ.रा.	रकबा	लगान
2545 / 992 / 3	0.5897	2.08
किता 1	रकबा 0.5897	लगान 2.08

उक्तानुसार वादी एवं प्रतिवादी को राजस्व ग्राम बलीचा, तहसील गिर्वा की आराजी संख्या [illegible] रकबा 0.9200 हैक्टैयर भूमि का बंटवाडा कर वादी का वाद फाईनल डिक्री किया जाता [illegible] वादी के आधिपत्य की भूमि में वादी के शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग में प्रतिवादीगण संख्या [illegible] से 2/4 एवं 5 से 13 किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं करें, यह कार्य न तो स्वयं [illegible] न अपने नौकर एजेन्ट रिश्तेदार से करावें। तहसीलदार गिर्वा तदनुसार राजस्व रिकार्ड में [illegible]ल दरागद करे। बंटवारा रिपोर्ट व नक्शा ट्रेस डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। निर्णय [illegible] इजलास सुनाया गया।

और इस वाद के खर्चे लेखे ......x......रुपये की राशि......x......आज की तारीख से वसूली [illegible] तारीख तक उस पर ......x......प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित ......x......द्वारा ......x...... ......को दी जाए।

यह आज तारीख ......27...... माह ......09...... सन् ......2023...... को मेरे से हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

27/09/23

हस्ताक्षर न्यायाधीश उपखण्ड अधिकारी
पद ......गिर्वा, उदयपुर

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	पैसे	प्रतिवादी	रुपया	पैसे
वाद पत्र के लिए स्टाम्प			स्टाम्प प्रार्थना पत्र		
स्टाम्प वकालात नामा			स्टाम्प वकालतनामा		
प्रदर्शो के लिए स्टाम्प			प्रदर्शो के लिए स्टाम्प		
मेहनताना वकील) पर			मेहनताना वकील) पर		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
आदेशिका की तामील			आदेशिका की तामील		
विविध खर्चे			विविध खर्चे		
योग			योग		

फर्द अहकाम

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी गिर्वा, उदयपुर

गंगाबाई —— तिथि —— [illegible]

वाद —— पत्रावली संख्या 14/22 —— सन ——

कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पा सूचनाएँ जारी
27.9.22 पत्रावली पेश हुई। बकुलाय पक्षकार उपस्थित। उभयपक्ष की PD पालना रिपोर्ट पर बहस सुनी गई। प्रतिवादी संख्या 31, से 34 अधिवक्ता द्वारा की गई रास्ते के सम्बन्ध में आपत्ति खारिज की जाकर वादी का वाद फाईनल डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से टंकण करा सलंग्न पत्रावली किया गया। निर्णय सरेइजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसलशुदा होकर नम्बर से कम हो। प्रतिभा वर्मा IAS	